परिशिष्ट-1 [17/3/2022]

मध्यप्रदेश शासन,
जल संसाधन विभाग
प्रश्न सं. [क्र. 2807]
-:: मंत्रालय ::-
वल्लभ भवन भोपाल

क्रमांक एफ–22/1/2019–20/ल.सि./31/446 भोपाल, दिनांक 16/03/2020

-:: आदेश ::-

विभाग की ऐसी लघु सिंचाई परियोजनाओं, जिनमें निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, की प्रथम दृष्टया तकनीकी एवं वित्तीय साध्यता का परीक्षण, जल की उपलब्धता, डूब क्षेत्र, वन भूमि एवं वित्तीय मापदण्डों के आधार पर किये गये तकनीकी एवं वित्तीय परीक्षण में प्रथम दृष्टया निम्नलिखित सिंचाई परियोजना तकनीकी एवं वित्तीय रूप से साध्य पाई गई :-

(Amount in Lakhs & Area In Ha.)

S. No.	Project Name	Project Type	Name of Vidhan Sabha	District	Proposed Rabi Irrigation (area in ha)	Estimated Cost.	Land Cost.	Construction Cost	Amount for S&I (Rs Lakhs)
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1.	New Melnath Barrage	Barrage	Ghatiya	Ujjain	1700	2850.00	1150.00	1700.00	0.50
2.	Gudha	Barrage	Ghatiya	Ujjain	200	348.00	-	348.00	0.50
3.	Ilahipur	Dam	Ghatiya	Ujjain	100	297.00	16.12	280.88	0.70

2. उक्त परियोजनाओं के विस्तृत–सर्वेक्षण एवं अनुसंधान करने और विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डी.पी.आर.) तैयार करने की स्वीकृति निम्न शर्तो के साथ दी जाती है :-

(i) संबंधित कार्यपालन यंत्री परियोजना का विस्तृत सर्वेक्षण एवं अनुसंधान कराके डीपीआर 16 सप्ताह में तैयार कर कछार के मुख्य अभियंता के माध्यम से प्रमुख अभियंता को उपलब्ध कराएं ।

(ii) सर्वेक्षण एवं डीपीआर की कार्रवाई के दौरान परियोजनाओं के सैच्य क्षेत्र के कृषकों की सर्व नम्बर सहित सूची तैयार की जावे और उनसे परियोजना के लिये सहमति प्राप्त की जावे।

(iii) परियोजना का प्रस्ताव प्रमुख अभियंता को प्रशासकीय स्वीकृति के लिये भेजने के पूर्व तकनीकी स्वीकृति (टी.एस.) जारी की जावे और इसे डी.पी.आर. में रखा जावे । टी.एस. जारी करने के पूर्व प्रशासकीय स्वीकृति होने की आवश्यकता को प्रश्नाधीन प्रकरणों के लिये शिथिल किया जाता है।

(iv) विस्तृत सर्वेक्षण डी.पी.आर. तैयार करने के दौरान ही सहमति से भूमि क्रय करने तथा भू–अर्जन/वन भूमि व्यपवर्तन का प्रकरण तैयार किया जावे। ताकि परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने की दशा में तत्काल प्रकरण सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किया जा सके ।

16/3

3. डी.पी.आर. के लिए परियोजना लागत आकलन करते समय निम्न ध्यान रखा जाए :–

(i) निजी भूमि का मूल्य कलेक्टर गाइड लाईन का दो गुना आंकलित किया जाए।

(ii) वन भूमि की दशा में प्रभावित वन भूमि की अनुमति के लिए लागत रू. 10.00 / 15.00 लाख प्रति हेक्टर के मान से आकलित की जाए।

(iii) स्थापना में केवल निर्माण की लागत का 6 प्रतिशत प्रावधान रखा जाए।

4. प्रमुख अभियंता कार्यालय उपरोक्त परियोजनाओं के सर्वेक्षण, अनुसंधान एवं डी.पी.आर. के लिये उपरोक्त तालिका के कॉलम–9 में दर्शाई गई राशि का आबंटन संबंधित कार्यपालन यंत्री को जारी करें । उक्त परियोजनाओं के सर्वेक्षण कार्य हेतु कॉलम–9 में दर्शित राशि अपर्याप्त होने की दशा में कार्यपालन यंत्री की औचित्य के साथ माँग प्राप्त होने पर अतिरिक्त राशि आबंटित की जा सकती है।

5. कार्यपालन यंत्री यह सुनिश्चित करें कि यदि किसी परियोजना का पूर्व में विस्तृत सर्वेक्षण व अनुसंधान किया जा चुका है तो पुनः सर्वेक्षण, अनुसंधान में व्यय नहीं किया जावे । पूर्व में किये गये सर्वेक्षण अनुसंधान की पुनः व्यक्तिशः संतुष्टि कर लें। पूर्व में जिस परियोजना का सर्वेक्षण अनुसंधान किया जा चुका हो तो उसके संबंध में उक्त कॉलम–9 में दर्शाया गया आवंटन मूलतः प्रमुख अभियंता को समर्पित कर दिया जावे। यह सुनिश्चित करना कार्यपालन यंत्री की व्यक्तिशः जिम्मेदारी होगी।

6. कार्यपालन यंत्री / अधीक्षण यंत्री परियोजनाओं को चिन्हित करते समय या विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (D.P.R.) तैयार करते समय यह ध्यान रखे कि परियोजना की जीवित जल क्षमता (Live storage) न्यूनतम 0.50 मि.घ.मी. से कम न हो।

7. अधीक्षण यंत्री स्थल निरीक्षण कर सुनिश्चित करेंगे कि चिन्हित स्थल पर प्रस्तावित बैराज के निर्माण कराने से अधिक से अधिक जल का समुचित उपयोग होगा।

8. बैराज के प्रस्तावों में सर्वे / D.P.R. के दौरान बैराज की ऊँचाई बढ़ाकर Live Storage बढ़ाने की संभावना अनिवार्यतः देखी जाए एवं साध्य होने पर तदनुसार D.P.R. तैयार की जाए।

9. कार्यपालन यंत्री यह सुनिश्चित कर ले कि संलग्न तालिका में दर्शाई गई योजना सर्वेक्षण उपरांत असाध्य न हो जिससे सर्वे में किया गया व्यय व्यर्थ हो जाये । सर्वे के पूर्व ही यदि कोई बड़ी बाधा जैसे कृषकों का विरोध, या आँकड़ों की त्रुटि आदि की स्थिति में साध्यता जारी होने के दिनांक से एक माह के अन्दर परियोजना असाध्य होने के बारे मे प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग को <u>फार्म नं.–151</u> में सूचित करते हुए विभागीय वेबसाईट पर प्रविष्टि करना सुनिश्चित करे।

10. संबंधित मुख्य अभियन्ता सर्वेक्षित एवं चिन्हित परियोजना के डी.पी.आर. 04 सप्ताह में शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

16.12
16/3

11. उपरोक्त साध्यता प्रदान की गई परियोजना का कमाण्ड यदि किसी अन्य परियोजना के कमान्ड या डूब क्षेत्र में आता है तो उस परियोजना का सर्वेक्षण कार्य नहीं किया जावे। ऐसी परियोजनाओं की साध्यता स्वीकृति स्वयमेव निरस्त मानी जावेगी। अन्यथा की स्थिति में कार्यो पर भारित व्यय की वसूली संबंधित अधिकारियों से की जाएगी।

16/3/20

(व्ही.एस. टेकाम)
उप सचिव
म.प्र. शासन, जल संसाधन विभाग

पृष्ठां. क्रं. – एफ–22/1/2018–19/ल.सि./31/447 भोपाल, दिनांक 16/03/2020

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल।
2. मुख्य अभियंता, नर्मदा ताप्ती कछार जल संसाधन विभाग इंदौर।
3. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग उज्जैन।
4. वैब मेनेजर, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल की ओर आदेश विभागीय बैवसाईट पर प्रकाशित करने हेतु।

16/3/2020

उप सचिव
म.प्र. शासन, जल संसाधन विभाग

पृष्ठक्रमांक 1193/कार्य/साध्यता/उज्जैन/दिनांक 19/3/20

प्रतिलिपि :- अनु विभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग ... की ओर भेजकर लेख है कि उक्त योजनाओं का ... डी.पी. आर. प्रस्तुत करना सुनिश्चित।

कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग, उज्जैन